



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 2016/ज्येष्ठ 5, 1938

No. 372]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 2016/JYAISTHA 5, 1938

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2016

**सा.का.नि. 549(अ).**—केंद्रीय सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (उ), (ड) और (ढ) के साथ पठित धारा 56 की उप धारा (2) के खण्ड (फ) और धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ** : - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि), नियम, 2016 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
2. **परिभाषाएं** :- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -
  - (क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;
  - (ख) "हिताधिकारी" से अभिप्रेत है जो वह व्यक्ति ऊर्जा बचत निष्पादन करार के आधार पर अपने स्वामित्व में परिसर में स्थित ऊर्जा दक्ष परियोजना के निष्पादन के लिए जो ब्यूरो के साथ नामिकाबद्ध ऊर्जा सेवा कंपनी के साथ एक करार करता है;
  - (ग) "ब्यूरो" से अभिप्रेत जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, अधिनियम के अधीन गठित एक संगठन है;
  - (घ) "चूक" से अभिप्रेत जो वह घटना है जिसमें न्यास और प्रतिधारण खाता प्रत्याभूति की अवधि के अंदर ऋण की मूल राशि के ब्याज या किश्त का सम्मान नहीं किया जाता और परियोजना भागीदारी वित्तीय संस्थान के लिए गैर निष्पादनकारी आस्ति बन जाती है;
  - (ङ) "पात्र उधार करने वाला" से अभिप्रेत है ऊर्जा सेवा कंपनी, ब्यूरो द्वारा पैनलीकृत या ऊर्जा सेवा कंपनियों का संयुक्त उद्यम, जिन्हें नियम 5 में निर्दिष्ट भागीदारी द्वारा वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण सुविधा प्रदान की गई है;

- (च) "ऊर्जा दक्षता उधार" से अभिप्रेत है जो ऊर्जा बचत निष्पादन संविदा के आधार पर ऊर्जा दक्षता परियोजना के निष्पादन के लिए भागीदारी वित्तीय संस्थान द्वारा उधार करने वाले को मंजूर की गई ऋण की राशि है;
- (छ) "ऊर्जा बचत निष्पादन संविदा" से अभिप्रेत है ऐसा लाभार्थी और उधारकर्ता के बीच एक करार में प्रवेश करना, जिसके अधीन उधारकर्ता के भुगतान निधि के अधीन ऊर्जा दक्षता परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित निर्दिष्ट निष्पादन प्रत्याभूति को पूरा करने पर आधारित है;
- (ज) "ऊर्जा सेवा कंपनी" से अभिप्रेत है जो ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक कंपनी या व्यवस्था, जो ब्यूरो के साथ पैनलीकृत है;
- (झ) "निधि" नियम 3 के अधीन स्थापित ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि अभिप्रेत है;
- (ञ) "प्रत्याभूति की सुविधा" से ऐसा अभिप्रेत है जो निश्चित पूर्व परिभाषित मानदण्ड के आधार पर एक पात्र उधारकर्ता को भागीदारी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि द्वारा दी गई प्रत्याभूति;
- (ट) "प्रत्याभूति करार" से अभिप्रेत है जो ऊर्जा दक्षता ऋण के संबंध में कार्यान्वयन अभिकरण और भागीदारी वित्तीय संस्थान के बीच एक करार जो पक्षकारों के बीच संबंध का नियंत्रण करने के साथ एक विशेष ऊर्जा दक्षता ऋण के लिए पात्रता की शर्तों, देयता सीमाओं और अनुमोदन, ऋण मूल्य निरूपण और समापन पश्चात रिपोर्टिंग मार्गदर्शक सिद्धांतों या प्रक्रियाओं और अन्य संबंधित मामलों को निर्दिष्ट करेगा;
- (ठ) "प्रत्याभूति का दावा" से अभिप्रेत है जोखिम व्याप्ति की राशि, जिसे ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति के अधीन ब्यूरो से दावा करने के लिए भागीदारी वित्तीय संस्थान अपनाता है;
- (ड) "प्रत्याभूति - दाता" से ऐसे ब्यूरो द्वारा चयनित कार्यान्वयन अभिकरण अभिप्रेत है;
- (ढ) "कार्यान्वयन अभिकरण" से अभिप्रेत है ऐसा एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान जो कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 4 क के अधीन रजिस्ट्रीकृत नियम 9 में निर्दिष्ट, ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के अधीन गतिविधियों के निष्पादन के लिए ब्यूरो द्वारा चुना गया है;
- (ण) "मापन और सत्यापन अभिकरण" से अभिप्रेत है ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के अधीन ब्यूरो की नामिकाबद्ध मापन और सत्यापन अभिकरण नियुक्त किया गया;
- (त) "समझौता ज्ञापन" से अभिप्रेत है जो ब्यूरो और ब्यूरो के साथ नामिकाबद्ध भागीदारी वित्तीय संस्थान के बीच एक औपचारिक करार है ;
- (थ) "मापन और सत्यापन" से अभिप्रेत है उधार देने वाला और हिताधिकारी के बीच ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं की कमिशनिंग के बाद समय समय पर होने वाली ऊर्जा की बचत के मापन और सत्यापन के लिए आपसी सहमति की प्रक्रियाएं हैं;
- (द) "गैर-निष्पादनकारी आस्ति" से अभिप्रेत है जो भागीदारी वित्तीय संस्थान की बहियों में परिसंपत्तियां, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति आस्ति की गई हैं;
- (ध) "भागीदारी वित्तीय संस्थान" से अभिप्रेत है ब्यूरो के साथ पैनलीकृत एक वित्तीय संस्थान, निधि में भागीदारी के लिए नियम 7 के उप नियम 3 (ख) में उल्लिखित प्रचालन पुस्तिका के अनुसार, जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अलावा) या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1)) की धारा 4 क के अधीन रजिस्ट्रीकृत या भारतीय रिजर्व बैंक से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां लेने वाली गैर जमा श्रेणी के अधीन रजिस्ट्री हैं, व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनियां जो सार्वजनिक निक्षेप राशि की उगाही नहीं करती हैं या मूल संरचना वित्त कंपनियां जो ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के अधीन प्रत्याभूति सुविधा के लिए आवेदन करती हैं;

- (न) "ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि" से अभिप्रेत है ऐसी ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए मौजूदा ऋण प्रदान करने में शामिल जोखिम के आंशिक व्याप्ति के साथ भागीदारी वित्तीय संस्थानों में जोखिम भागीदारी प्रदान करने की प्रक्रिया है;
- (प) "परियोजनाएं" से अभिप्रेत है जो नियम 4 के उप नियम (7) और (8) में निर्दिष्ट, ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि में भागीदारी वित्तीय संस्थानों द्वारा जमा किए गए ऊर्जा सेवा कंपनी के लिए ऋण की प्रत्याभूति के लिए पात्र एक प्रस्ताव है;
- (फ) "पर्यवेक्षी समिति" से अभिप्रेत है ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय से लिए गए प्रतिनिधियों तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा मनोनीत अन्य सदस्यों के साथ ब्यूरो द्वारा गठित समिति, जैसा नियम 7 में संदर्भित है;
- (ब) "न्यास और प्रतिधारण खाता" से अभिप्रेत है जिसके पास के माध्यम से खाता, जो न्यासी बैंक के अंदर बनाया गया है, जो भागीदारी वित्तीय संस्थान स्वयं हो सकता है, जिसे भागीदारी वित्तीय संस्थान, उधार करने वाला और हिताधिकारी के बीच करार पर हस्ताक्षर द्वारा बनाया जाता है, जिसके माध्यम से स्कीम के अधीन के विशेष ऊर्जा दक्षता परियोजना की सभी प्राप्तियां हिताधिकारी को भेजी जाएंगी।

**3. ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक प्रत्याभूति निधि की स्थापना -** (1) ब्यूरो की ओर से ऊर्जा सेवा कंपनियों द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति प्रदान करने के लिए ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि की स्थापना की जाएगी।

- (2) निधि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रशासित किया जाएगा।
- (3) निधि की सभी गतिविधियों का निष्पादन कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा किया जाएगा, जो ब्यूरो द्वारा चुने गए सार्वजनिक वित्तीय संस्थान होंगे, जैसा नियम 9 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (4) सभी अनुदान और उधार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इन नियमों में कथित प्रयोजनों के लिए दिए जाते हैं और निधि पर ब्याज तथा प्रदान की जाने वाली प्रत्याभूति पर फीस निधि में प्रत्यायित की जाएगी।
- (5) निधि के प्रयोजन के लिए -
- क) ब्यूरो प्रत्याभूति फीस और आवेदन फीस प्रभारित करेगा;
- ख) अप्रतिदेय आवेदन फीस, भागीदारी वित्तीय संस्थान द्वारा आवेदन के समय उपयोजना की गई अधिकतम प्रत्याभूति प्राप्त राशि पर आधारित होगी;
- ग) प्रत्याभूति फीस प्रत्येक परियोजना की प्रत्याभूति रकम का एक बार दी जाने वाली फीस होगी, जो अनुमोदन के बाद और प्रत्याभूति करार पर हस्ताक्षर से पहले देय होगा।

**4. निधि का प्रचालन -** (1) इस निधि से उधार की अधिकतम पचास प्रतिशत राशि पर प्रत्याभूति होगी, भागीदारी वित्तीय संस्थान द्वारा वास्तव में केवल मूलधन का संवितरण किया जाएगा, बशर्ते चूक के मामले में निधि -

- क) कुल प्रत्याभूत रकम के अधिकतम दस प्रतिशत के अधीन प्रथम हानि को व्याप्ति की जाएगी ;
- ख) शेष चूक बकाया मूलधन को व्याप्ति करना जो अधिकतम प्रत्याभूति प्राप्त राशि तक एक ही समय में वास्तव में संवितरित राशि है, किया जाएगा।
- (2) प्रत्येक प्रत्याभूति की सुविधा के लिए कार्यान्वयन अभिकरण प्रत्याभूति के प्रतिशत को अंतिम रूप देगा।
- (3) भागीदारी वित्तीय संस्थान उधारकर्ता को ऋण के संवितरण के पहले ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि से प्रत्याभूति शुल्क के भुगतान के अध्यक्षीन प्रत्याभूति लेगी, जो ऊर्जा सेवा कंपनी है।
- (4) प्रत्याभूति की राशि प्रति परियोजना दस करोड़ रुपए या ऋण राशि के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, इनमें से जो भी कम हो।

- (5) प्रत्याभूति की अधिकतम अवधि ऊर्जा दक्षता ऋण के प्रथम संवितरण की तारीख या ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि की प्रचालन अवधि की अंतिम तारीख से पांच वर्ष होगी, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो।
- (6) ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के अधीन केवल वैयक्तिक परियोजना प्रत्याभूति आरंभ में दी जाएगी और इसके बाद पर्यवेक्षक समिति के अनुभव के आधार पर विद्युत मंत्रालय द्वारा पोर्टफोलियो प्रत्याभूति नियमों के अनुमोदन के बाद पोर्टफोलियो प्रत्याभूति दिया जाएगा।
- (7) प्रत्येक पात्र परियोजना शर्तों को पूरी करेगी कि, ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के अधीन सरकारी भवनों, वाणिज्यिक और बहु मंजिला आवासीय रिहाइश वाले निजी भवनों, नगर पालिकाओं, लघु और मध्यम उद्यम तथा उद्योग को सहायता देगा।
- (8) प्रत्येक पात्र परियोजना निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करेगी अर्थात् :
- (क) ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में शमन और प्रत्यक्ष ऊर्जा बचत प्राप्त करने का प्रयास करें;
- (ख) ऊर्जा तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बचत और निगरानी सत्यापित करने के लिए एक व्यावहारिक विधि का प्रस्ताव;
- (ग) एक नई परियोजना जो विद्यमान परियोजनाओं का पुनः निधीयन या किसी पात्र उधारकर्ता के दायित्वों का बकाया नहीं है;
- (घ) व्यवहार्य प्रौद्योगिकी का उपयोग और सक्षम ऊर्जा लेखा परीक्षा या व्यवहार्यता अध्ययन के साथ विकसित किया जाए; और
- (ङ) ब्यूरो में पैनलीकृत ऊर्जा सेवा कंपनी द्वारा निष्पादन संविदा विधि पर परियोजना कार्यान्वित की जाए, जहां एक परिभाषित करार है, जिससे ऊर्जा की बचतों के एक निश्चित स्तर तक भुगतान को जोड़ा जाता है।
- (9) निम्नलिखित परियोजनाओं को ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के लिए पात्रता नहीं है, अर्थात् :
- क) कोई ऐसी स्कीम इस प्रकार की जाती है, जिसकी बाबत निष्पादन जोखिम को डिपॉजिट इश्योरेंस एण्ड क्रेडिट प्रत्याभूति कॉर्पोरेशन या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रचालित या प्रशासित योजना के अधीन अतिरिक्त रूप से उस सीमा तक जहां उन्हें व्याप्ति किया गया है;
- ख) कोई परियोजना की बाबत में निष्पादन जोखिमों को सरकार या किसी अन्य साधारण बीमाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ द्वारा अतिरिक्त रूप से व्याप्ति किया जाता है जो इस प्रकार आच्छेदन की गई सीमा तक बीमा, प्रत्याभूति या क्षति पूर्ति के व्यापार जिसकी बाबत करते हैं;
- ग) कोई परियोजना, जो केंद्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी कानूनी के उपबंधों या किसी निर्देश या अनुदेश के अनुरूप नहीं है या किसी प्रकार से असंगत है, जो मौजूदा तत्समय प्रवृत्त है;
- घ) ऊर्जा सेवा कंपनी द्वारा कोई परियोजना प्रस्ताव, जिसने ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति के अधीन लागू एक प्रत्याभूति के लिए एक भागीदारी वित्तीय संस्थान को देय राशि के किसी भाग का भुगतान नहीं किया है या उपरोक्त खण्ड (क) या उपखंड (ख) या (ग) के अधीन उल्लिखित कोई स्कीम;
- ङ) किसी प्रकार से राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार की हिताधिकारी योजना के अधीन निष्पादन जोखिमों को व्याप्ति करने वाली किसी परियोजना; और
- च) क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचीबद्ध कोई चूककर्ता।

**5. उधार करने वाले के लिए पात्रता** - (1) किसी भी उधार करने वाले को ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के अधीन पात्रता नहीं होगी, जब तक :-

(2) ब्यूरो की पैलनीकृत ऊर्जा सेवा कंपनी, या

(3) भारत के कानूनों के अधीन गठित ऊर्जा सेवा कंपनियों का संयुक्त उद्यम, जहां ब्यूरो की पैलनीकृत ऊर्जा सेवा कंपनी की कम से कम पचास प्रतिशत शेयर पूंजी है :

परंतु भागीदारी वित्तीय संस्थान और इसके सहयोगी, सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों, सहयोगियों के पास, अलग से या मिले जुले रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उक्त इकाई की कुल जारी की गई तथा बकाया शेयर पूंजी में से दस प्रतिशत से अधिक अपने स्वामित्व में नहीं हैं;

(2) ऋण का आगम ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए आशयित वस्तुओं और सेवाओं में एक पात्र उधार करने वाले के निवेश के निधिकरण के प्रयोजन के लिए उपयोग की जाएंगी।

**6. निधि की अवधि** - (1) ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि कार्यक्रम के अधीन निधि संग्रह के समाप्त हो जाने या कार्यक्रम के आरंभ होने की तिथि से कुल अवधि दस वर्ष की अवधि तक प्रचालनरत होंगे, इनमें से जो भी पहले होता है।

(2) ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के समापन पर शेष निधि भारत सरकार की राशि में क्रेडिट की जाएगी।

**7. पर्यवेक्षी समिति** - (1) निम्नलिखित सदस्यों की पर्यवेक्षी समिति होगी; अर्थात् :

(i)	महानिदेशक, ब्यूरो	- पदेन अध्यक्ष
(ii)	संयुक्त सचिव (ऊर्जा संरक्षण), विद्युत मंत्रालय या निर्देशिति व्यक्ति	- पदेन सदस्य ;
(iii)	संयुक्त सचिव (बैंककारी सेवा विभाग), वित्त मंत्रालय या निर्देशिति व्यक्ति	- पदेन सदस्य ;
(iv)	गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों, अधिमान्यतः पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के प्रतिनिधि निदेशक के स्तर पर या निर्देशिति व्यक्ति	- पदेन सदस्य ;
(v)	अनुसूचित बैंक के प्रतिनिधि, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ इंडिया जहां कार्यपालक निदेशक या निर्देशिति व्यक्ति के स्तर पर विशाल ऊर्जा दक्षता पोर्टफोलियो है	- पदेन सदस्य ;

(2) पर्यवेक्षी समिति ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि को मार्गदर्शन प्रदान करने तथा प्रगति की निगरानी के लिए शीर्ष निकाय होगी।

(3) पर्यवेक्षक समिति के कार्य इस प्रकार होंगे -

क) नीति के मामलों पर अनुमोदन देना है और निर्णय लेना, नियमों में उपांतरण और जब और जैसे मामले उत्पन्न होते हैं, भागीदारी वित्तीय संस्थान अनुपालन;

ख) सभी पणधारियों की विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को कवर करते हुए ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के लिए प्रचालन मैनुअल के अनुमोदन सहित कार्यान्वयन अभिकरण, भागीदारी वित्तीय संस्थान, उधारकर्ता और लाभार्थी तथा अन्य दस्तावेज जो ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के प्रचालन के लिए आवश्यक हैं एवं प्रत्याभूति का अनुमोदन तथा प्रत्याभूति की दावा प्रक्रिया;

ग) नामिकाबद्ध भागीदारी वित्तीय संस्थानों के ऋण निष्पादन और प्रक्रम अनुपालन की नियमित पुनर्विलोकन करना और किसी भी कारण से ऊर्जा दक्षता नियुक्त आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि से किसी एक विशेष भागीदारी वित्तीय संस्थान को सूची से हटाने की संभावना पर निर्णय लेना;

- घ) आवश्यक होने पर बैठक की जाएगी, किन्तु कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा संचालित किए जा रहे निधि की निगरानी के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक होगी और निधि निधि को अनुमोदन दिया जाएगा, जिसे ब्यूरो से कार्यान्वयन अभिकरण के पास हस्तांतरित किया जाएगा; और
- ड) ब्यूरो में कार्यक्रम कार्यालय को अपेक्षित मार्गदर्शन प्रदान करना, जिससे ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि की कार्यशैली और कार्यान्वयन की प्रभावशीलता में सुधार आ सकता है।
- (4) पर्यवेक्षी समिति का कार्यकाल निधि के साथ साथ समाप्त होगा।
- (5) पर्यवेक्षी समिति की बैठक निधि के सुचारू प्रचालन का सुनिश्चय करने और ब्यूरो के साथ कार्य करने के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार की जाएगी।
- (6) जारी करने की तिथि से कम से कम सात दिन की अवधि में एक सूचना पर्यवेक्षी समिति की प्रत्येक बैठक के सदस्यों को साधारण तौर पर दी जाएगी और बैठक की कार्यसूची बैठक से कम से कम तीन दिन पहले सदस्यों के बीच परिचालित की जाएगी।
- (7) सलाहकार समिति की बैठक में कार्य के आदान प्रदान के लिए अनिवार्य कोरम अध्यक्ष के अलावा समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगा।

**8. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की भूमिका – ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे -**

- क) ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के लिए केन्द्रक अभिकरण के रूप में कार्य करना;
- ख) ब्यूरो की पैनलीकृत ऊर्जा सेवा कंपनियों की सूची को ब्यूरो की वेबसाइट पर नियमित रूप से अद्यतन करना;
- ग) कार्यान्वयन अभिकरण की नियुक्ति, जो प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से चुना गया एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान होगा;
- घ) कार्यान्वयन अभिकरण के निष्पादन की नियमित निगरानी करना और कार्यान्वयन अभिकरण की ओर से निष्पादन के किसी मामले में ब्यूरो द्वारा कार्यान्वयन अभिकरण के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई की जाएगी या कार्यान्वयन अभिकरण पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा;
- ड) स्वतंत्र मापन और सत्यापन अभिकरण को पैनलीकृत करने के लिए उनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना और निम्नतम दरें नियत करना जिस पर कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा मापन और सत्यापन अभिकरण को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान किया जाएगा तथा इसकी प्रतिपूर्ति ब्यूरो द्वारा कार्यान्वयन अभिकरण को की जाएगी।
- च) भागीदारी वित्तीय संस्थानों को ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के अधीन पैनलीकृत करने के लिए उनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना;
- छ) कुछ परियोजनाओं के वार्षिक दौरे करना, जिन्हें यादृच्छिक रूप से प्रतिदर्श आधार पर चुना गया हो, जिन्हें ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के अधीन व्याप्ति किया जा रहा है और पर्यवेक्षी समिति के पास रिपोर्ट जमा करें।
- ज) ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के प्रशासनिक लेखा का प्रबंधन महा निदेशक, ब्यूरो के अनुमोदन से करना और इसे प्रशासनिक उपयोग के लिए उपयोग करना जैसे पैनलीकृत करने की प्रक्रिया के लिए, परामर्श फीस हेतु, कार्यान्वयन अभिकरण फीस हेतु, मीडिया या कार्यशाला या गोष्ठी या सम्मेलन लागत हेतु, मापन और सत्यापन अभिकरण के शुल्क के लिए और ब्यूरो के परियोजना दल के अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु;
- झ) ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के कुल कॉर्पस की अधिकतम पांच प्रतिशत राशि का उपयोग निधि से संबंधित प्रशासनिक व्यय पूरे करने में किया जा सकता है बशर्ते कि

प्रत्याभूति फीस और आवेदन फीस के साथ कॉर्पस राशि पर ब्याज का उपयोग प्रशासनिक व्यय पूरे करने के लिए किया जाएगा; और

- ज) खण्ड (i) के लिए पैनलीकृत करने की प्रक्रिया, परामर्श फीस, कार्यान्वयन अभिकरण के प्रशासनिक फीस हेतु, मीडिया या कार्यशाला या गोष्ठी या सम्मेलन की लागत हेतु, मापन और सत्यापन अभिकरण फीस के लिए और ब्यूरो के परियोजना दल के अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए प्रशासनिक व्यय पूरे करने के लिए प्रशासनिक बैंक खाते का प्रबंधन।

**9. कार्यान्वयन अभिकरण के कार्य** – कार्यान्वयन अभिकरण के निम्नलिखित कार्य हैं, अर्थात्

- क) ब्यूरो को ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के अधीन ब्यूरो के साथ पैनलीकृत करने के लिए भागीदारी वित्तीय संस्थानों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की संवीक्षा तथा मूल्यांकन में सहायता देना और इसकी सिफारिशें ब्यूरो में जमा करना;
- ख) पर्यवेक्षी समिति द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के संबंध में भागीदारी संस्थानों के प्रत्याभूति आवेदनों से अवगत कराना और प्रत्याभूति के आवेदन प्राप्त होने पर प्रत्याभूति फीस और अन्य समर्थक दस्तावेजों के साथ भागीदारी वित्तीय संस्थान के साथ प्रत्याभूति करार पर हस्ताक्षर करना;
- ग) प्रतिभागी वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए गए मूल्यांकन और पात्र उधारकर्ताओं द्वारा परियोजना के विकास से स्वतंत्र रहें;
- घ) निधि की उपयोगिता पर भागीदारी वित्तीय संस्थानों द्वारा दी गई प्रगति रिपोर्ट और लेखा के विवरणों का आकलन और समीक्षा करना तथा करार से किसी विचलन के मामले में तदनुसार प्रत्येक तिमाही में उन्हें पर्यवेक्षी समिति की जानकारी में लाना;
- ङ) प्रत्येक पर्यवेक्षी समिति की बैठक में पिछली बैठक के बाद से ऊर्जा दक्षता आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि की प्रगति पर (प्रतिबद्ध या दावा की गई प्रत्याभूति सहित और अन्य अद्यतन) पर्यवेक्षी समिति को अद्यतन जानकारी देना और ऊर्जा दक्षता आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि की प्रगति तथा स्थिति के विषय में ब्यूरो को तिमाही रिपोर्ट भी जमा करना;
- च) प्रति वर्ष ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के अधीन आय और व्यय दर्शाने वाले लेखा में लेखा परीक्षित रिपोर्ट जारी करना;
- छ) भागीदारी वित्तीय संस्थानों से प्रत्याभूति फीस और आवेदन फीस संग्रह करना तथा इसे ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के प्रशासनिक खाते में जमा करना, जिसका प्रबंधन ब्यूरो द्वारा प्रशासनिक उपयोग के लिए किया जाएगा, जैसे पैनलीकृत करने की प्रक्रिया हेतु, परामर्श फीस हेतु, कार्यान्वयन अभिकरण फीस के लिए, मीडिया या कार्यशाला या गोष्ठी या सम्मेलन लागत हेतु, मापन और सत्यापन अभिकरण के फीस के लिए और ब्यूरो के परियोजना दल के अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए;
- ज) यह प्रशासनिक व्यय पूरे करने के लिए ब्यूरो को समग्र राशि पर ब्याज भी निक्षेप करेगा;
- झ) भागीदारी वित्तीय संस्थानों द्वारा संवितरित ऊर्जा दक्षता ऋणों के एक नमूने पर मूल्य निरूपण दस्तावेजों पर यादृच्छिक उचित परिश्रम किया जाए और उस विशिष्ट ऊर्जा दक्षता ऋण में यदि विचलन पाए जाते हैं तो जोखिम व्याप्ति रद्द किया जाए;
- ञ) अधिभागी वित्तीय संस्थानों से प्रत्याभूति दावे की प्राप्ति पर ब्यूरो द्वारा नामिकाबद्ध स्वतंत्र मापन और सत्यापन अभिकरण की नियुक्ति करना, जो ब्यूरो द्वारा तय की गई दरों पर आधारित होगी;
- ट) ब्यूरो द्वारा कार्यान्वयन अभिकरण को मापन और सत्यापन अभिकरण की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी;

- ठ) प्रत्याभूति दावा प्रक्रिया पर कार्रवाई और यदि इसे उचित पाया जाता है और स्वतंत्र मापन एवं सत्यापन अभिकरण द्वारा जमा की गई रिपोर्ट के आधार पर आपसी सहमति होती है तो प्रत्याभूति विस्तार प्रदान करना;
- ड) पैनलीकृत भागीदारी वित्तीय संस्थानों के साथ ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि को सफलतापूर्वक चलाने के लिए सुझावों और उनके अनुभवों से बोर्ड को अवगत कराना;
- ढ) भागीदारी वित्तीय संस्थानों और वास्तविक प्रयोक्ताओं एवं ऊर्जा सेवा कंपनी के साथ उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने और भावी परियोजनाओं की तैयारी के लिए बाजार ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि;
- ण) निधि के बारे में संभावित पणधारियों की विपणन सामग्री तैयार करने और शिक्षा के लिए उत्तरदायी होना; और
- त) परियोजनाओं की समीक्षा मूल्य निरूपण और निधिकरण से कार्यान्वयन अभिकरण कर्मचारिवृंद की स्वतंत्रता से संबंधित एक लिखित आश्वासन के साथ संस्थान की संरचना प्रदान की जाएगी जिन्हें ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि की प्रत्याभूति सुविधा के लिए रखा गया है। इसके अतिरिक्त कार्यान्वयन अभिकरण (सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों) को दी गई कुल प्रत्याभूति कुल निधि मूल्य के दस प्रतिशत तक सीमित होगी।

- 10. प्रत्याभूति का आह्वान -** (1) भागीदारी वित्तीय संस्थानों द्वारा ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के अधीन प्रत्याभूति दावे का निर्णय लेने के मामले में यह गैर निष्पादन कारी आस्तियों के रूप में परियोजना की घोषणा की तारीख के एक वर्ष की अवधि के अंदर कार्यान्वयन अभिकरण के पास प्रत्याभूति दावा प्रारूप जमा करेगा।
- (2) भागीदारी वित्तीय संस्थान कथित ऋण सुविधा की चूक के मामले में ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि पर कोई दावा करने की पात्रता नहीं रखता या दावा नहीं करेगा, जो ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विपरीत या इनके उल्लंघन में किए गए कार्य या निर्णय है।
  - (3) भागीदारी वित्तीय संस्थान द्वारा वरीयतः प्राप्त दावे इस प्रकार के होंगे और उक्त समय के अंदर किए जाएंगे जो इस ओर ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।
  - (4) कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा एक स्वतंत्र मापन और सत्यापन अभिकरण की नियुक्ति की जाएगी, जिसे ब्यूरो द्वारा मापन और सत्यापन कराने के लिए नामिकाबद्ध किया जाएगा एवं मापन और सत्यापन अभिकरण की सिफारिशों के आधार पर कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा संगत दस्तावेजों को जमा किया जाएगा और प्रत्याभूति दावे पर कार्रवाई की जाएगी।
  - (5) भागीदारी वित्तीय संस्थान द्वारा साठ दिनों के अंदर किए गए दावे के अधीन, जिन्हें अन्यथा सही और सभी प्रकार से पूरा पाया गया है, प्रत्याभूति की तुलना में पिछ्तर प्रतिशत राशि का भुगतान ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि द्वारा किया जाएगा और प्रत्याभूति राशि की बची हुई पच्चीस प्रतिशत राशि का भुगतान भागीदारी वित्तीय संस्थान द्वारा वसूली प्राप्तियों के समापन पर किया जाएगा।
  - (6) भुगतान किए जाने वाले दावे पर ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि से संबंधित उधार करने वाले के संबंध में लागू प्रत्याभूति के खाते पर इसकी सभी देयताओं से प्रभारित माना जाएगा।
  - (7) भागीदारी वित्तीय संस्थान की चूक के मामले में इसके अधिकारों का उपयोग किया जाएगा, यदि कोई हों, और उधार करने वाले से आस्तियों का अधिग्रहण किया जाएगा और राशि की वसूली की जाएगी, यदि कोई हों, इसे उक्त आस्तियों की बिक्री या अन्यथा ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि में उस परियोजना की कुल ऋण राशि पर दी गई प्रत्याभूति के अनुपात में प्रत्याभूति की तुलना में दावे की शेष पच्चीस प्रतिशत राशि के दावे से पहले प्रत्यय किया जाएगा।



- (8) भागीदारी वित्तीय संस्थान ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि द्वारा जारी दावे की वापसी के लिए दायी होगा जिसमें भारतीय स्टेट बैंक की दर से चार प्रतिशत अधिक दण्डात्मक ब्याज दर होगी, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, यदि उक्त वापसी ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि द्वारा गंभीर कमियों के मामले में की गई है, जैसे अपर्याप्त मूल्य निरूपण या नवीकरण या अनुवर्तन या परियोजना का आयोजन या कई बार दावे दायर करना या दावों के निपटान के लिए किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना या अन्य कोई कमी।
- (9) भागीदारी वित्तीय संस्थान द्वारा उक्त दण्डात्मक ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जब ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि द्वारा इसकी मांग की जाती है और यह ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि द्वारा किए गए दावे की शुरूआती निर्मुक्ति की तिथि से दावे की वापसी की तारीख तक होगी।
- 11. भुगतान दावे के खाते पर अधिकार और वसूली का प्रत्यासीन** - (1) भागीदारी वित्तीय संस्थान ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि को वसूली के लिए किए गए इसके प्रयासों के विवरण, वसूली और अन्य जानकारी प्रदान करेगा, जिसकी मांग समय-समय पर की जाती है या अपेक्षित होती है।
- (2) भागीदारी वित्तीय संस्थान ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि की ओर से और अपनी ओर से उधार करने वाले को दी जाने वाली ऋण सुविधा से सृजित आस्तियों पर ग्रहणाधिकार रखेगा।
- (3) ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि द्वारा किसी प्रतिस्थापना अधिकार का उपयोग नहीं किया जाएगा और देय राशियों की वसूली की जिम्मेदारी सहित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, परिसंपत्तियों की बिक्री आदि का दायित्व भागीदारी वित्तीय संस्थान पर होगा।
- (4) वसूल की गई प्रत्येक राशि और ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि को संदत्त की जाने वाली राशि का भुगतान किसी विलंब के बिना किया जाएगा और ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के कारण यदि कोई राशि उस तारीख से तीस दिन की अवधि तक भुगतान नहीं की जाती है, जब इसे पहली बार वसूल किया गया था तो भागीदारी वित्तीय संस्थान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर से चार प्रतिशत अधिक की दर पर ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति को ब्याज का भुगतान उस अवधि के लिए किया जाएगा जिसके लिए भुगतान तीस दिन की कथित अवधि समाप्त होने के बाद बकाया बना हुआ है।
- 12. विवाद समाधान** - (1) कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा दिए गए किसी आदेश से व्यथित एक व्यक्ति ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के अधीन गठित पर्यवेक्षी समिति से निर्णय कर सकता है।
- (2) अधिनियम के अधीन पर्यवेक्षी समिति द्वारा दिए गए किसी आदेश से व्यथित अधिनियम की धारा 30 के अधीन स्थापित ऊर्जा संरक्षण अपील अधिकरण में अपील कर सकता है।
- (3) अपील अधिकरण में अपील करने वाला व्यक्ति ऊर्जा संरक्षण अपील अधिकरण (प्रक्रिया, प्रारूप, फीस और कार्रवाइयों का अभिलेख) नियम, 2012 के अनुसार इसे फाइल कर सकता है।
- 13. कुछ मामलों में दायित्व की समाप्ति** - ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि की देयता इस प्रकार समाप्त की जा सकती है -
- क) यदि एक परियोजना किसी व्यक्ति द्वारा नियमों के अधिन किसी प्रत्याभूति व्याप्ति को प्रदान करने के कारण अपात्र हो जाती है तो संबंधित परियोजना के लिए नियमों के अधीन भागीदारी वित्तीय संस्थानों को दिए जाने वाले प्रत्याभूति व्याप्ति के संदर्भ में ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि की देयता समाप्त हो जाएगी;
- ख) यदि भागीदारी वित्तीय संस्थान या उधारकर्ता द्वारा जमा किए गए प्रत्याभूति दावे को जारी पाया जाता है या इसमें गंभीर कमियां हैं, जैसे अपर्याप्त मूल्य निरूपण या नवीकरण या अनुवर्तन या परियोजना का आयोजन या कई बार दावे दायर करना या दावों के निपटान के लिए किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना या अन्य कोई कमी।

14. **भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश** – भागीदारी में वित्तीय संस्थान के कार्य अनुदेशों और दिशानिर्देशों का पुनरीक्षण जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं।
15. **नियमों में संशोधन** — केंद्रीय सरकार द्वारा पर्यवेक्षी समिति की सिफारिश पर पुनरीक्षित किए गए नियम, जब और जैसे अनिवार्य है।
16. **रिटर्न और निरीक्षण** - (1) भागीदारी वित्तीय संस्थान द्वारा ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि में उक्त सभी दस्तावेज, रसीदें, प्रमाणपत्र और अन्य लिखत कार्य प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसकी आवश्यकता इसे हो सकती है और उक्त दस्तावेजों, रसीदों, प्रमाणपत्रों और अन्य लिखतों की सामग्री पर पुष्टि समझी जाएगी, बशर्ते कि किसी भी दावे को अस्वीकार नहीं किया जाएगा और भागीदारी वित्तीय संस्थान या उनके अन्य किसी अधिकारी तक सदभावपूर्वक पर की गई कोई भी जिम्मेदारी जोड़ी नहीं जाती है;
- (2) ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि को जहां तक नियमों के प्रयोजन के लिए आवश्यक पाया जाता है, इसे लेखा की बहियों और अन्य अभिलेख की प्रति सहित अनुदेशों की कोई पुस्तक या पुस्तिका या परिपत्र का निरीक्षण करने या मांगने का अधिकार है, जिसमें भागीदारी वित्तीय संस्थान और भागीदारी वित्तीय संस्थान के किसी उधारकर्ता की अग्रिम राशियों के बारे में साधारण अनुदेश दिए गए हैं;
- (3) यह निरीक्षण ब्यूरो या कार्यान्वयन अधिकरण या ब्यूरो अथवा कार्यान्वयन अधिकरण द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के प्रयोजन से किया जा सकेगा।
- (4) भागीदारी वित्तीय संस्थान के प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी या उधार करने वाला जो यह कार्य करने की स्थिति में हैं, वे ब्यूरो या निरीक्षण के लिए नियुक्त व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहेंगे, यथास्थिति, लेखा की बहियां और अन्य अभिलेख तथा जानकारी उनके कब्जे में हैं।
17. **भाग लेने वाले वित्तीय संस्थान पर ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के अधीन लागू शर्तें अधिरोपित हों** (1) ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि द्वारा दिए गए किसी प्रत्याभूति व्याप्ति का अभिशासन ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि नियमों के उपबंधों द्वारा किया जाएगा, यदि इन्हें जोखिम व्याप्ति जैसे साक्ष्य वाले दस्तावेजों में लिखा गया है;
- (2) भागीदारी वित्तीय संस्थान द्वारा जहां तक संभव हो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के अधीन शामिल लेखा से संबंधित किसी संविदा की शर्तें ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के उपाबंधों के विवाद में नहीं होनी चाहिए, किन्तु इसमें किसी अन्य दस्तावेज या संविदा के उपाबंध के बावजूद अंतर्विष्ट किसी उपाबंध के होते हुए भी भागीदारी वित्तीय संस्थान ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के संबंध में ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि नियमों के अधीन अधिरोपित शर्तों द्वारा बाध्य है।
18. **उपांतरण और छूट** - ब्यूरो को विद्युत मंत्रालय के परामर्श से ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि में उपांतरण करने, रद्द या प्रतिस्थापित करने का अधिकार है।
19. **पूरक और साधारण उपाबंध** - ऐसे किसी मामले के विषय में जो विशेष तौर पर इन नियम में प्रदान नहीं किया गया है, ब्यूरो द्वारा विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन से उक्त नियमों के लिए उक्त पूरक या अतिरिक्त उपाबंध या मुद्दे बनाए जा सकते हैं या उक्त अनुदेश या स्पष्टीकरण जारी किए जा सकते हैं, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए अनिवार्य है।
20. **लेखा और लेखा परीक्षा** - (1) ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि की सभी धनराशि और सभी आय तथा व्यय का सत्य और सही लेखा रखा जाएगा।
- (2) कार्यान्वयन अधिकरण द्वारा ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के अधीन जारी और प्रतिबद्ध की गई प्रत्याभूति धनराशि के सत्य और सही लेखा और अन्य व्ययों का अभिलेख रखा जाएगा जैसे मापन और सत्यापन और अन्य व्यय और निधि पर उसमें ब्याज है।

- (3) ब्यूरो द्वारा विद्यमान ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि की पञ्चानवे प्रतिशत राशि कार्यान्वयन अभिकरण निधि में जारी की जाएगी और प्रत्येक तिमाही में कार्यान्वयन अभिकरण से प्रतिबद्धता जारी की गई तिमाही प्रत्याभूति की स्थिति प्राप्त की जाएगी।
- (4) कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के लिए एक पृथक खाता खोला जाएगा और इसमें ब्याज और उपयोगिता या प्रतिबद्धता के सभी विवरणों का अभिलेख रखा जाएगा। कार्यान्वयन अभिकरण प्रशासनिक व्यय पूरे करने के लिए ब्यूरो को कॉर्पस राशि पर ब्याज निक्षेप करेगी।
- (5) प्रशासनिक व्यय में कार्यान्वयन अभिकरण का फीस, मीडिया या कर्मशाला व्यय या गोष्ठी या सम्मेलन लागत, मापन और सत्यापन लागत, वित्तीय संस्थानों, मापन और सत्यापन अभिकरण की नामांकन प्रक्रिया के लिए लागत, ब्यूरो के परियोजना दल के व्यय तथा अन्य प्रशासनिक लागत सम्मिलित होंगे।
- (6) कार्यान्वयन अभिकरण एक लेखा परीक्षण रिपोर्ट हर वर्ष जारी करेगी जिसमें ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के अधीन पिछले वर्ष में लेखा के पिछले वर्ष के समापन से अधिक से अधिक छह मास के लिए आय और व्यय दर्शाए जाएंगे।
- (7) लेखा वर्ष वित्तीय वर्ष होगा जो 1 अप्रैल से आरंभ होकर प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा;
- (8) निधि के लेखा का लेखा परीक्षण भारतीय नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा किया जाएगा और लेखा के लेखा परीक्षित कथन सहित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट अनुमोदन के लिए परिवीक्षा समिति के समक्ष रखी जाएगी।
- 21. कानूनी अपेक्षा के साथ अनुपालन** - भागीदारी वित्तीय संस्थान यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन करेंगे कि पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रत्येक अनुमोदित परियोजना में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
- 22. आय की उपयोगिता** - ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि के अधीन प्राप्त सभी आय इस निधि का भाग होंगी, जिसमें निधि से अर्जित ब्याज, अप्रकंट प्रत्याभूति फीस और भागीदारी वित्तीय संस्थानों से वसूल किया गया आवेदन फीस सम्मिलित होगा;
- (2) निधि संग्रह, प्रत्याभूति फीस और आवेदन फीस पर अर्जित ब्याज का उपयोग ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि से संबंधित प्रशासनिक व्यय पूरे करने में किया जाएगा।

[फा. सं. 12/4/2015-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

**MINISTRY OF POWER****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th May, 2016

**G.S.R. 549(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 56 read with clauses (l), (m) and (n) of sub-section (2) of section 13 and section 46 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following rules, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Energy Conservation (Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “**Act**” means the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);

(b) “**beneficiary**” means any person who enters into a contract with an energy service company empanelled with the Bureau for execution of an energy efficiency project in the premises in its possession, based on energy savings performance contract;

(c) “**Bureau**” means the Bureau of Energy Efficiency, an organisation setup under the Act;

- (d) **“default”** means an event when the Trust and Retention Account is not able to honour the interest or instalment of the principal of loan amount within the guarantee tenure and the project becomes non-performing asset for the participating financial institution;
- (e) **“eligible borrower”** means the energy service company, empanelled by the Bureau or joint venture of energy service companies to whom credit facility has been provided by the participating financial institution, referred to rule 5;
- (f) **“energy efficiency loan”** means the loan sanctioned by the participating financial institution to the borrower for execution of energy efficiency project based on energy savings performance contract;
- (g) **“energy savings performance contract”** means a contract entered into the beneficiary and the borrower under which payments to the borrower are based on the meeting specified performance guarantees related to the implementation of energy efficiency project under Fund;
- (h) **“energy service company”** means a company or set-up for implementing energy efficiency projects, which is empanelled with the Bureau;
- (i) **“Fund”** means the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency established under rule 3;
- (j) **“guarantee agreement”** means an agreement between the implementing agency and the participating financial institution in respect of energy efficiency loan which shall govern the relationship between the parties and specify, inter alia, eligibility conditions, limits of liability and approval, loan appraisal and post-closing reporting guidelines or procedures and other related matters for a particular energy efficiency loan;
- (k) **“guarantee claim”** is the amount of risk coverage which the participating financial institution opts to claim from the Bureau under Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency;
- (l) **“guarantee facility”** means guarantee provided by Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency based on certain pre-defined criterion, to any loan extended by the participating financial institution to an eligible borrower;
- (m) **“guarantor”** means the implementing agency selected by the Bureau;
- (n) **“implementing agency”** means a public financial institution, registered under section 4A of the Companies Act 1956 (1 of 1956), selected by the Bureau for executing the activities under the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency, specified in rule 9;
- (o) **“measurement and verification agency”** means an empanelled measurement and verification agency of the Bureau under Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency;
- (p) **“memorandum of understanding ”** means a formal agreement between the Bureau and the participating financial institution empanelled with the Bureau;
- (q) **“measurement and verification”** means the mutually agreed procedures, between the borrower and the beneficiary, for measurement and verification of energy savings achieved periodically after the commissioning of the energy efficiency projects;
- (r) **“non-performing assets”** means an asset in the books of participating financial institution, classified as non-performing asset based on the instructions and guidelines issued by the Reserve Bank of India from time-to-time;
- (s) **“participating financial institution”** means a financial institution empanelled with the Bureau, in accordance with the operations manual mentioned in clause (b) of sub-rule(3) of rule 7, for participating in the Fund, such as scheduled commercial bank (other than regional rural bank) or public financial institutions (registered under section 4A of the Companies Act 1956 (1 of 1956)) or non-banking financial companies with the certificate of registration from Reserve Bank of India, registered under the category of non-deposit taking non-banking financial companies, Systemically Important Core Investment Company not raising public deposit or Infrastructure Finance Companies applying for guarantee facility under Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency;
- (t) **“Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency”** means a risk-sharing mechanism to provide participating financial institutions with a partial coverage of risk involved in extending loans for energy-efficiency projects;

- (u) **“projects”** means a proposal eligible for guarantee of loans for energy service company submitted by participating financial institution to Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency, as referred to sub-rule (7) and (8) of rule 4;
- (v) **“Supervisory Committee”** means the committee set up by the Bureau with the representatives from the Bureau, Ministry of Power, Ministry of Finance and other members nominated by the Ministry of Power, as referred to rule 7;
- (w) **“Trust and Retention Account”** means a pass-through account, created within a Trustee Bank, which may be the participating financial institution itself, by signing an agreement between the participating financial institution, the borrower and the beneficiary through which all proceeds in a particular energy efficiency project under the scheme would be routed by the beneficiary.
- 3. Establishment of Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency.**—(1) The Bureau shall establish a Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency for providing Partial Risk Guarantee to the financing of energy efficiency projects proposed by the energy service companies.
- (2) The Fund shall be administered by the Bureau of Energy Efficiency.
- (3) The activities of the Fund shall be executed by the implementing agency, which shall be a public financial institution selected by the Bureau, as specified in rule 9.
- (4) All the grants and loans that may be made by the Central Government for the purposes stated in these rules and interest on fund money and fees charged for providing guarantees shall be credited to the fund.
- (5) For the purpose of the Fund –
- (a) the Bureau shall charge guarantee fee and application fee;
- (b) application fee shall be of the maximum guaranteed amount applied for by the participating financial institution at the time of application which shall be non-refundable;
- (c) the guarantee fee shall be one-time fee of the amount guaranteed for each project which shall be payable after approval and before signing of guarantee agreement.
- 4. Operation of Fund.**— (1) The Fund shall give a guarantee for a maximum fifty percent of the loan , only principal amount actually disbursed, provided by the participating financial institution and in case of default, the fund shall -
- (a) cover the first loss subject to maximum of ten percent of the total guaranteed amount;
- (b) cover the remaining default outstanding principal amount actually disbursed amount on pari-passu basis upto the maximum guaranteed amount.
- (2) The implementing agency shall finalise the percentage of guarantee for each guarantee facility.
- (3) The participating financial institution shall take guarantee from the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency before disbursement of loan to the borrower that is energy service company subject to payment of guarantee fees.
- (4) The guarantee shall not exceed rupees ten crore per project or fifty percent of loan amount, whichever is less.
- (5) The maximum tenure of the guarantee shall be five years from the date of first disbursement of the energy efficiency loan or the last date of the operational period of Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency, whichever is earlier.
- (6) Under the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency, only individual project guarantee shall be given initially and subsequently, based on the experience, the supervisory committee may extend it to portfolio guarantees after approval of portfolio guarantee rules by the Ministry of Power.
- (7) Each eligible project shall fulfil the conditions that the support under Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency shall be for the government buildings, private buildings having commercial or multi-storey residential accommodations, municipalities, small and medium enterprises and industry.
- (8) Each eligible project shall meet the following objectives, namely:—
- (a) seek to achieve demonstrable energy savings and mitigation in emissions of greenhouse gases;

- (b) propose a viable method to monitor and verify energy and greenhouse gas emission savings;
- (c) be a new project, not refinancing existing projects or any outstanding obligations of the eligible borrower;
- (d) use viable technology and be developed with competent energy audit or feasibility studies; and
- (e) project shall be implemented by Bureau empanelled energy service company on performance contracting mode, where there is a defined agreement which link payment to certain level of energy savings.

(9) The following projects are not eligible for Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency, namely:—

- (a) any project in respect of which performance risks are additionally covered under a scheme operated or administered by deposit insurance and credit guarantee corporation or the Reserve Bank of India, to the extent they are so covered;
- (b) any project in respect of which performance risks are additionally covered by Government or by any general insurer or any other person or association of persons carrying on the business of insurance, guarantee or indemnity, to the extent they are so covered;
- (c) any project, which does not conform to or is in any way inconsistent with the provisions of any law or with any directives or instructions issued by the Central Government or the Reserve Bank of India, which may, for the time being, be in force;
- (d) any project proposal by energy service company which has not repaid any portion of the amount due to a participating financial institution for a guarantee invoked under the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency or under scheme mentioned under clause (a) or (b) or (c);
- (e) any project covering performance risks under any kind of State Government or Central Government beneficiary scheme; and
- (f) any defaulter listed by Credit Information Bureau (India) Limited or Reserve Bank of India.

**5. Eligibility for the borrowers.**—(1) No borrower shall be eligible under the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency unless-

- (a) the empanelled energy service company of the Bureau; or
- (b) the joint venture of energy service companies formed under the laws of India where the empanelled energy service company of the Bureau shall have share capital of at least fifty percent:

Provided that the participating financial institution and its affiliates, subsidiaries, joint ventures, associates do not own, separately or in the aggregate, directly or indirectly, more than ten percent of the total issued and outstanding share capital of such entity;

(2) The loan proceeds shall be utilised for the purpose of financing investment of an eligible borrower in goods and services intended for the energy efficiency projects.

**6. Duration of Fund.**— (1) The Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency shall be operational till the fund corpus, under the programme, is exhausted or for a total period of ten years from the date of commencement of the programme whichever happens earlier.

(2) On closure of the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency, the balance funds shall be credited to the amount of the Government of India.

**7. Supervisory Committee.**—(1) There shall be a Supervisory Committee with the following members; namely:-

i. Director General , Bureau	- Ex-officio Chairperson;
ii. Joint Secretary (Energy Conservation), Ministry of Power or nominee	- Ex-officio Member;
iii. Joint Secretary (Department of Banking Services), Ministry of Finance or nominee	- Ex-officio Member;
iv. Representative of Non-Banking Financial Companies, preferably organisations like Power Finance Corporation or Rural Electrification Corporation at the level of Director or nominee	- Ex-officio Member;

v. Representative of a public sector bank such as State Bank of India or Punjab National Bank or Bank of India which has large energy efficiency portfolio, at the level of executive director or nominee	- Ex-officio Member;
---	----------------------

(2) The supervisory committee shall be the apex body for providing guidance and monitoring progress in Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency.

(3) Functions of Supervisory Committee shall be to—

- (a) approve and take decisions on matters of policy, modification of rules and participating financial institution compliance as and when they arise;
- (b) approve Operations Manual for Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency covering detailed role and responsibility of all the stakeholders including implementing agency, participating financial institution, borrower and beneficiary, and other documents required for operationalisation of Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency alongwith guarantee approval and guarantee claim procedure;
- (c) regularly review the lending performance and process compliance of the empanelled participating financial institutions and take decision on potential de-empanelment of a particular participating financial institution from Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency for any reason whatsoever;
- (d) shall meet as often as required, but at least once in each quarter to monitor the funds being managed by implementing agency and approve the fund money which would be transferred from Bureau to implementing agency; and
- (e) provide requisite guidance to the program office at Bureau, which may improve effectiveness of their functioning and implementation of the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency.

(4) The tenure of the Supervisory Committee shall be co-terminus with the Fund.

(5) The Supervisory Committee shall meet at least once in each quarter to ensure smooth operationalization of the Fund and work with the Bureau.

(6) A notice of not less than seven days, from the date of issue, shall be ordinarily given to the members of each meeting of the Supervisory Committee and the agenda of the meeting shall be circulated to the members, not later than three days before the meeting.

(7) The quorum necessary for transaction of business at a meeting of the Advisory Committee shall be one-third of the total number of Members of the Committee besides the Chairperson.

**8. Role of Bureau of Energy Efficiency.**—The Bureau shall—

- (a) act as the nodal agency for Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency;
- (b) regularly update the list of empanelled energy service companies of the Bureau on the website of the Bureau;
- (c) appoint implementing agency which shall be a public financial institution selected through competitive bidding;
- (d) regularly monitor the performance of implementing agency and in case of any non-performance on the part of implementing agency, the Bureau shall take any disciplinary action against implementing agency or impose penalty on implementing agency;
- (e) empanel independent measurement and verification agency by signing memorandum of understanding with the Bureau and fix the lowest rate on which the implementing agency shall be paying to the measurement and verification agency for their services and the same shall be reimbursed to implementing agency by the Bureau;
- (f) empanel the participating financial institutions under the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency by signing memorandum of understanding with the Bureau;

- (g) carry out annual visits to few projects, selected on random sampling basis, being covered under the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency and submit reports to Supervisory Committee;
- (h) manage the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency administrative account with the approval of the Director General, Bureau and utilise it for administrative use like for empanelment process, for consultant fee, for administrative fee of implementing agency, for media or workshop or seminar or conference cost, for measurement and verification agency fee and for other administrative expense of project team of Bureau;
- (i) utilise maximum five percent of the total corpus of the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency to meet administrative expense related with the fund provided that, interest on corpus amount along with guarantee fee and application fee shall also be utilised for meeting administrative expense; and
- (j) manage the administrative bank account for clause (i) to meet administrative expense for empanelment process, for consultant fee, for administrative fee of Implementing Agency, for media or workshop or seminar or conference cost, for measurement and verification agency fee, and for other administrative expense of Project team of Bureau.

**9. Functions of Implementing Agency.**—The following are the functions of the implementing agency, namely:-

- (a) assist the Bureau in scrutinizing and evaluating the documents submitted by participating financial institutions for empanelment with Bureau under Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency and submit recommendations to the Bureau;
- (b) to appraise guarantee applications of participating financial institutions with respect to guidelines approved by Supervisory Committee and sign the guarantee agreement with the participating financial institution on receipt of the guarantee application along with the guarantee fee and other supporting documents;
- (c) be independent of the appraisal carried out by the participating financial institution and of the development of the project by the eligible borrower;
- (d) shall assess and review the progress reports and statement of accounts provided by the Participating Financial Institutions on utilisation of the fund and in case of any deviations from the agreement, accordingly bring them to the notice of the Supervisory Committee in each quarter;
- (e) update the Supervisory Committee, in every Supervisory Committee meetings, on the progress of the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency (including guarantees committed or claimed, and other updates) since previous meeting and also submit a quarterly report to Bureau regarding the progress and status of Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency;
- (f) shall each year issue an audited report setting out the accounts showing the income and expenditure under Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency;
- (g) to collect guarantee fee and application fee from Participating Financial Institutions and deposit it into Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency administrative bank account, which shall be managed by the Bureau;
- (h) deposit interest on corpus amount to the Bureau for meeting administrative expense;
- (i) conduct random due diligence on the appraisal documents on a sample of energy efficiency loans disbursed by participating financial institutions and cancel the risk cover for that particular energy efficiency loan, if deviations are found;
- (j) appoint independent measurement and verification agency empanelled by the Bureau on receipt of guarantee claim from participating financial institutions;
- (k) the cost of measurement and verification agency shall be reimbursed to implementing agency by the Bureau;
- (l) process the guarantee claim procedure and, if found appropriate and mutually agreeable based on the report submitted by independent measurement and verification agency, provide the guarantee coverage;



- (m) convene an annual meeting with the empanelled participating financial institutions to soundboard their experiences and suggestions on successful running of Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency;
- (n) market Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency both with participating financial institutions and the end users and energy service company to ensure their participation and prepare pipeline of projects;
- (o) be responsible for preparation of marketing material and education of potential stakeholders about the Fund; and
- (p) provide a written assurance alongwith the institutional structure relating to the independence of implementing agency staff from the review, appraisal and financing of the projects that are put up for guarantee facility to Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency. Further, total guarantees provided to the implementing agency (Public Financial Institution) shall be limited to ten percent of the total fund value.

**10. Invocation of Guarantee.**—(1) In case the participating financial institution decides for a guarantee claim under the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency, it shall submit the guarantee claim Form to implementing agency within a period of one year from the date of declaration of the project as non-performing assets.

- (2) The participating financial institution shall not make or be entitled to make any claim on the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency in respect of the default of the said credit facility owing to actions or decisions taken contrary to or in contravention of the guidelines issued by the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency.
- (3) The claim shall be preferred by the participating financial institution in such manner and within such time as may be specified by the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency in this behalf.
- (4) The implementing agency shall appoint an independent measurement and verification agency, empanelled by Bureau, to do the measurement and verification. Based on the recommendations of measurement and verification agency and submission of relevant documents guarantee claim shall be processed by implementing agency.
- (5) The Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency shall pay seventy five percent of the claim against guarantee by the participating financial institution, within sixty days, subject to the claim being otherwise found in order and complete in all respects and the balance twenty five percent of the guaranteed amount shall be paid on conclusion of recovery proceedings by the participating financial institution.
- (6) On a claim being paid, the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency shall be deemed to have been discharged from all its liabilities on account of the guarantee in force in respect of the borrower concerned.
- (7) In the event of default the participating financial institution shall exercise its rights, if any, to take over the assets of the borrowers and the amount realised, if any, from the sale of such assets or otherwise shall be credited in proportion to the guarantee given on the total loan amount for that project to Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency before it claims the remaining twenty five percent of the claim against guarantee.
- (8) In the event of serious deficiencies, the participating financial institution shall be liable to refund the claim released by the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency together with penal interest at the rate of four percent above the base rate of State Bank of India. These serious deficiencies shall be such as inadequate appraisal or renewal or follow-up or conduct of the project or multiple lodgement of claim, or suppression of any material information for the settlement of claims or any other deficiency.
- (9) The participating financial institution shall pay such penal interest, when demanded by the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency, from the date of the initial release of the claim by the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency to the date of refund of the claim.

**11. Subrogation of rights and recoveries on account of claim paid.**— (1) The participating financial institution shall furnish to the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency, the details of its efforts for recovery, realisation and such other information as may be demanded or required from time to time.

- (2) The participating financial institution shall hold lien on assets created out of the credit facility extended to the borrower on its own behalf and on behalf of Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency.

- (3) The Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency shall not exercise any right of subrogation and that the responsibility of the recovery of dues including takeover of assets sale of assets and such other acts shall be with the participating financial institution.
- (4) Every amount recovered and due to be paid to the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency shall be paid without delay and if any amount due to the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency remains unpaid beyond a period of thirty days from the date on which it was first recovered, interest shall be payable to the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency by the participating financial institution at the rate which is four percent above base rate of State Bank of India for the period for which payment remains outstanding after the expiry of the said period of thirty days.
- 12. Dispute Resolution.**— (1) Any person aggrieved by an order made by the Implementing Agency may approach the Supervisory Committee constituted under Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency for decision.
- (2) Any person aggrieved, by an order made by Supervisory Committee under the Act, may prefer an appeal to the Appellate Tribunal for Energy Conservation established under section 30 of the Act.
- (3) The person making appeal to the Appellate Tribunal shall file the same in accordance with Appellate Tribunal for Energy Conservation (Procedure, Form, Fee and Record of Proceedings) Rules, 2012.
- 13. Termination of liability in certain cases.**—The liability of Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency may be terminated—
- (a) if a project becomes ineligible for being granted any guarantee coverage under these rules, by any reason, the liability of the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency in respect of the guarantee coverage granted to participating financial institution for the respective project under these rules shall lapse;
- (b) if the guarantee claim submitted by the participating financial institution or borrower is found to be fraudulent or if there are serious deficiencies, such as inadequate appraisal or renewal or follow-up or conduct of the project or multiple lodgement of claim or suppression of any material information for the settlement of claims or any of the deficiency.
- 14. Guidelines of Reserve Bank of India.**—The participating financial institution shall follow the instructions and guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time.
- 15. Revision of Rules.**—The Central Government may revise these rules on the recommendations of Supervisory Committee, as and when necessary.
- 16. Returns and Inspection.**—(1)The participating financial institution shall furnish to the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency all such documents, receipts, certificates and other writings as the latter may require and shall be deemed to have affirmed that the contents of such documents, receipt, certificate and other writings are true, provided that no claim shall be rejected and no liability shall attach to the participating financial institution or any officer thereof for anything done in good faith.
- (2) The Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency shall, insofar as it may be necessary for the purposes of these rules, have the right to inspect or call for copies of the books of account and other records, including any book of instructions or manual or circulars covering general instructions regarding conduct of advances of the participating financial institution, and of any Borrower from the participating financial institution.
- (3)The Bureau or the Implementing Agency or any other person appointed by the Bureau or the Implementing Agency may carry out inspection.
- (4) Every officer or other employee of the participating financial institution or the Borrower, who is in a position to do so, shall make available to Bureau or the person appointed for the inspection, as the case may be, the books of account and other records and information which are in his possession.
- 17. Conditions imposed under Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency be binding on the participating financial institution.**—(1) Any guarantee coverage given by the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency shall be governed by the provisions of the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency rules as if the same had been written in the documents evidencing such risk coverage.
- (2) The participating financial institution shall as far as possible ensure that the conditions of any contract relating to an account covered under the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency rules are not in conflict with the provisions of the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency rules but notwithstanding any provision in any other documents or contract, the participating financial institution shall in relation to the

Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency be bound by the conditions imposed under the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency rules.

- 18. Modifications and exemptions.**—the Bureau reserves to itself the right to modify, cancel or replace the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency in consultation with the Ministry of Power.
- 19. Supplementary and General Provisions.**—In respect of any matter not specifically provided for in this rule, the Bureau may make such supplementary or additional provisions or issue such instructions or clarifications as may be necessary for the purpose of these rules with the approval of the Ministry of Power.
- 20. Accounts and Audit.**—(1) The Bureau shall maintain true and correct accounts of all monies and of all the income and expenditure made out of Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency.
- (2) The implementing agency shall maintain true and correct accounts of the guarantee money committed and released under the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency and the records of other expenditure like measurement and verification and other expenditure and interest accrued on the fund.
- (3) The Bureau shall release ninety five percent of the existing Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency corpus to implementing agency and seek status of guarantees committed or released quarterly from the implementing agency every quarter.
- (4) The implementing agency shall open a separate account for Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency fund and shall track all details of interest and utilisation or commitment. Implementing agency shall deposit interest on corpus amount to the Bureau for meeting administrative expense.
- (5) The administrative expense shall include the fees of implementing agency, media or workshop or seminar or conference cost, measurement and verification cost, for empanelment process of financial institutions, measurement and verification agency, expense of project team of the Bureau and other administrative cost.
- (6) The Implementing Agency shall each year issue an audited report setting out the accounts showing the income and expenditure under the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency for the preceding year not later than six months from the end of the preceding year of accounts.
- (7) The year of account shall be the financial year commencing from the 1st April and ending on the 31st March of the subsequent year.
- (8) The accounts of the fund shall be audited every year by the Comptroller and Auditor General of India and the audited statement of accounts together with report of the auditor shall be laid before the Supervisory Committee for approval.
- 21. Compliance with Statutory Requirements.**—The participating financial institution shall implement the procedures to ensure that each approved project complies with the environmental, health and safety standards.
- 22. Utilisation of Income.**—(1) All income received under the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency shall be part of this fund including interest earned on the fund, upfront Guarantee Fee and application fee recovered from the participating financial institutions.
- (2) The Bureau may utilise the interest accumulated on fund corpus, guarantee fee and application fee to meet the administrative expense related with the Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency.

[F. No. 12/4/2015-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser